

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

२५-१-२५ वादियागण द्वारा पत्रावली तलब कर विडो करने
बाबत प्रार्थना-पत्र पेश करने पर पत्रावली तलब
की गई। वादियागण उपस्थित, जिनकी पहचान करीम
वादी द्वारा की गई। वादियागण द्वारा पहचानस्वरूप
स्वहस्ताक्षरित आधार कार्ड की प्रतियां पेश की।
वादियागण द्वारा उस्तुत प्रार्थना-पत्र अनुसार उक्त
प्रकरण में वादियागण व प्रतिवादीगण के मध्य आपस
में राजीनामा हो गया है, वादियागण का उपरोक्त
उन्वानी प्रकरण में किसी भी प्रकार से कोई अनुरोध
शेष नहीं रहा है।

हमने उस्तुत प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया

श. नि. शरण

वैराज

मुरा

शोना

रत्न

शुभा

शुभा

शुभा

शुभा

शुभा

शुभा

शुभा

शुभा

From no |||

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम-रूपनगढ़ जिला अजमेर

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी

सरोज

बनाम

प्रयोकरण

नंबर ५३७ वर्ष 2019

किस्म मुकदमा :- 88, 188 R.T. Act

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>एवं वादि यागण, वकील वादि यागण को सुना। चूंकि वादि यागण उक्त प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अतः वादि यागण के वाद को खिड़ी करने के आदेश दिये जाते हैं।</p> <p>पशवली फैंसल बुमस होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)</p>	